भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2007

19.12.2022 को उत्तर के लिए

बाघों के दुर्व्यापार में कम गिरफ्तारी दर

2007. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाघों के दुर्व्यापार में शातिम संदिग्धों/इसके पुष्ट मामलों में लोगों की गिरफ्तारी की दर कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) बाघों के दुर्व्यापार के मामलों में दोषसिद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) जी नहीं। बाघों सहित जंगली जानवरों को मारने/अवैध शिकार/तस्करी से संबंधित मामलों को राज्य और केंद्र सरकार की कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा निपटाया जाता है और अपराधियों को अन्य अधिनियमों के संगत प्रावधानों के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन बनाए गए सक्षम प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है।

(ख) बाघों की तस्करी के मामलों सहित वन्यजीव अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) देश में संगठित अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) एक वैधानिक बहु-विधिक निकाय है। डब्ल्यूसीसीबी, जंगली जानवरों और उनके अंगों के अवैध व्यापार/तस्करी/शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अभिकरणों और अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ मिलकर काम करता है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में वर्तमान में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् बाघ परियोजना के तहत बाघ रिजर्वों में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों हेतु स्थानीय लोगों के कार्यबल के अलावा विशेष बाघ संरक्षण बल, होमगार्ड, पूर्व-सेना कर्मियों में वृद्धि हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के अलावा वन/पुलिस/सीमा शुल्क/न्यायपालिका और अन्य सरकारी अभिकरणों के अधिकारियों/कार्मिकों के लिए वन्य जीवों के व्यापार, तस्करी और शिकार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

*****